D.El.Ed. IInd Sem.

SUBJECT :- S.St.

TOPIC :- मौलिक कर्त्तव्य

भारत के मूल संविधान के अन्तर्गत नागरिको को मौलिक अधिकार प्राप्त थे, किन्तु सन् 1976 मे 42वे संविधान संशोधन द्वारा संविधान मे भारतीय नागरिको के अधिकारो मे मूल कर्त्तव्य जोड़े गये है। अनु० 51 (क) के अन्तर्गत मूल कर्त्तव्य इस प्रकार है।

(1). संविधान का पालन करना और उनके आदर्शो, संस्थाओ राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना।

(2). स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शो को हृदयंगम करना तथा उनका अनुपालन करना।

(3). भारत की सम्प्रभुता, एकता तथा अखण्डता की रक्षा करना तथा उसे बनाये रखना।

(4). देश की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवाओ मे आवश्यकता पड़ने पर भाग लेना।

(5). धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगो मे समरसता और सम्मान भ्रातत्व की भावना का निर्माण करना, स्त्रियो के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओ का त्याग करना।

(6). हमारी सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझना और उसका परिरक्षण करना।

(7). प्राणि-मात्र के लिए दया-भाव रखना तथा प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत झील, वन नदी और अन्य जीव है, की रक्षा एवं संवर्धन करना।

(8). मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

(9). भारतीय नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे, अहिंसात्मक विचार को आत्मसात् कर हिंसा से दूर रहे।

(10). भारतीय नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे राष्ट्र की प्रगति में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए निरन्तर प्रयत्न करे।

(11). भारतीय माता-पिता या संरक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वे छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। (यह मौलिक कर्त्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 (क) में जोड़ा गया है।

by
Mr. Parveen Raj
Asst. Prof.
B.R.C.D. (SRE)

Thankyou

Scanned with CamScanner